



कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 08.06.2022

विगत दिनों में एक रिहायशी इलाके के high-rise building में लगी आग को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री ए. सतीश गणेश द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी वाराणसी को Fire Safety Audit करने के निर्देश दिये गये थे जिसके क्रम में संपूर्ण कमिश्नरेट के कई महत्वपूर्ण भवनों का अग्नि सुरक्षा संरीक्षा की गयी।

अत्याधिक गर्मी, शार्ट सर्किट व अन्य कारणों से आग लगने की घटनाओं के दृष्टिगत जिन अपार्टमेन्ट/होटल/संस्थाओं का भौतिक निरीक्षण किया गया। जीवन रक्षा प्रणाली व अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत कई कमियाँ पायी गयी। मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा समस्त अपार्टमेन्ट/होटल/संस्थाओं के निरीक्षणोपरान्त स्वामी/प्रबन्धकों को 07 दिवस में उक्त कमियों को दूर कर, आनलाईन आवेदन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु अपार्टमेन्ट/होटल/संस्थाओं के स्वामियों/प्रबन्धकों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

दिनांक 07.06.2022 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री ए. सतीश गणेश द्वारा कमिश्नरेट वाराणसी क्षेत्र के ऐसे अपार्टमेन्ट/होटल/संस्थाओं के स्वामी/प्रबन्धकों को नोटिस निर्गत की गयी है जिनके द्वारा पूर्व में मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा निर्गत नोटिस के क्रम में आवश्यक कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है, जिनका विवरण निम्नवत है-

अपार्टमेन्ट/होटल/संस्थाओं का विवरण जिनके विरुद्ध नोटिस निर्गत की गयी है-

1. स्वामी/प्रबन्धक, होटल रिवर रिदम्, बी1/122,डुमरावबाग कालोनी अस्सी थाना भेलूपुर वाराणसी।
2. स्वामी/प्रबन्धक, बनारस होटल्स लि0, नदेसर पैलेस कम्पाउण्ड थाना कैण्ट वाराणसी।
3. स्वामी/प्रबन्धक, रूहा बुद्धा इन्क्लेव अपार्टमेन्ट, आशापुर थाना सारनाथ वाराणसी।
4. स्वामी/प्रबन्धक, काशीराज अपार्टमेन्ट, भवन संख्या बी-21/87,88 कमच्छा थाना भेलूपुर वाराणसी।
5. स्वामी/प्रबन्धक, कृष्णा अपार्टमेन्ट, भवन संख्या बी21/87,88 कमच्छा थाना भेलूपुर वाराणसी।
6. स्वामी/प्रबन्धक, कृष्णा विराट अपार्टमेन्ट, सी-23/88ए-1 रामकटोरा नाटी इमली थाना जैतपुरा वाराणसी।

7. स्वामी/प्रबन्धक, रूद्रा हार्ट्स अपार्टमेन्ट, मवैया थाना सारनाथ वाराणसी ।
8. स्वामी/प्रबन्धक, प्रिया अपार्टमेन्ट, भवन संख्या बी-21/87,88 कमच्छा थाना भेलूपुर वाराणसी।
9. स्वामी/प्रबन्धक, रूद्रा ऐश्वर्यम् अपार्टमेन्ट, भरलाई, थाना शिवपुर वाराणसी ।
10. स्वामी/प्रबन्धक, रूद्रा लक्ष्मीकुन्ज अपार्टमेन्ट, मवैया थाना सारनाथ वाराणसी ।
11. स्वामी/प्रबन्धक, रूद्रा रत्नम् अपार्टमेन्ट, मवैया थाना सारनाथ वाराणसी ।
12. स्वामी/प्रबन्धक, एस0डी0एस0 रहेजा रेजीडेन्सी अपार्टमेन्ट, पंचकोशी रोड, नई बस्ती पाण्डेयपुर वाराणसी ।
13. स्वामी/प्रबन्धक, साधूवेला अपार्टमेन्ट, बी-2/259 रविन्द्रपुरी, लेन नं0 14, थाना भेलूपुर वाराणसी ।
14. स्वामी/प्रबन्धक, सत्यलोक अपार्टमेन्ट, गंगाबाग कालोनी थाना लंका वाराणसी ।
15. स्वामी/प्रबन्धक, सिद्धि विनायक अपार्टमेन्ट, भरलाई, थाना शिवपुर वाराणसी ।
16. स्वामी/प्रबन्धक, सुधा रेजीडेन्सी अपार्टमेन्ट, रश्मिनगर, लंका वाराणसी ।
17. स्वामी/प्रबन्धक, सूर्या विजयगढ़ अपार्टमेन्ट, ओल्ड पद्मश्री काम्पलैक्स अस्सी थाना भेलूपुर वाराणसी ।
18. स्वामी/प्रबन्धक, सूर्या विला अपार्टमेन्ट, भवन संख्या-बी 37/61, बिरदोपुर थाना भेलूपुर वाराणसी ।
19. स्वामी/प्रबन्धक, स्वास्तिक गार्डेनिया अपार्टमेन्ट थाना शिवपुर वाराणसी ।
20. स्वामी/प्रबन्धक, स्वास्तिक टावर अपार्टमेन्ट, बी-38/68, नगवॉ, थाना लंका वाराणसी ।
21. स्वामी/प्रबन्धक, उमा निलयम् अपार्टमेन्ट, भवन संख्या- 241,242,243,244 मोहल्ला पंचवटी, थाना रामनगर वाराणसी ।
22. स्वामी/प्रबन्धक, वरूणा गार्डेन, अपार्टमेन्ट, सेन्ट्रल जेल रोड वाराणसी ।
23. स्वामी/प्रबन्धक, विनायक वृन्दावन अपार्टमेन्ट, कबीर रोड, थाना चेतगंज वाराणसी ।
24. स्वामी/प्रबन्धक, विराट काम्पलैक्स, जे-12/8, धूपचण्डी, नाटी इमली थाना जैतपुरा वाराणसी ।

उपरोक्त अपार्टमेन्ट/होटल/संस्थाओं से अपेक्षा की गयी है कि 07 दिवस के अन्दर वांछित अग्निशमन व्यवस्थाओं को पूर्ण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें अन्यथा अपार्टमेन्ट/होटल/संस्थाओं के स्वामी/प्रबन्धकों के विरूद्ध उ0प्र0 अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम-2005 के सुसंगत धाराओं में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी । यह अन्तिम अवसर है इसके उपरान्त कठोर कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी ।

नोट: जीवन से खिलवाड़ की छूट किसी को नहीं दी जा सकती ।

**सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।**